न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 988-II/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.04.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 305/2013–14 अपील

1– कमलेश दुबे पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र दुबे
2– बृजमोहन दुबे पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र दुबे
3– कमला बाई पत्नी स्व. श्री रामचन्द्र दुबे
निवासी– बक्सरीया मोहल्ला बिदिशा (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

वासुदेव पुत्र स्व. श्री हरचन्दी दुबे
निवासी– बक्सरीया मोहल्ला बिदिशा
हाल निवास राजेन्द्र नगर बक्सरीया झील कुऐं के पास बिदिशा (म.प्र.)

-- अनावेदक

श्री एस.के. वाजपेयी अभिभाषक आवेदकगण
श्री के.के.द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक अनावेदक

!! आदेश !!

(आज दिनांक 4/11/2016 ~~12/2015~~)

यह निगरानी आवेदकगण अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 305/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में ग्राम देवखजुरी की भूमि सर्वे क्रमांक 519,520,522/4, 525, 427 कुल रकवा 2.

999 है0 का सहमति के आधार पर बंटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर इस्तहार आदि का प्रकाशन किया गया तथा बंटवारा फर्द मंगाया गया। अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लखित भूमि पर उन्हे 2/3 हिस्सेदार की हैसियत से भूमि दिये जाने का निवेदन किया गया। तथा पूर्व में बंटवारे में आवेदकगण को उनके हिस्से की भूमि प्राप्त होना बताया गया तहसीलदार द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त कर पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द को स्वीकृत कर दिया गया। तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्व अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो सुनवाई उपरान्त निरस्त कर दी गयी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पश्चात् अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 25.04.2015 से स्वीकार की गयी इस आदेश के विरूद्व यह निगरानी अनावेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् बंटवारा आदेश पारित किया गया था। जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समस्त आधारों पर विवेचना कर अपील निरस्त की थी इसके पश्चात् द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो को अपास्त किया है जो उचित प्रक्रिया नहीं है तहसील न्यायालय द्वारा फर्द बंटाकन तैयार कर बंटवारा आदेश पारित किया था जिसमें अनावेदक द्वारा आपत्ति की गयी थी जो विचार करने के पश्चात् निरस्त की गयी थी अनावेदक जानबूझकर बंटवारा कार्यवाही को उल्झाकर आवेदकगण की भूमि को हडपना चाहता है जबकि बंटवारे की कार्यवाही में मात्र उसी भूमि को सामिल किया जा सकता है जो पक्षकारों के संयुक्त खाते की हो। विवादित भूमि आवेदकण के पिता द्वारा स्वअर्जित की गयी भूमि है जिसे बंटवारा कार्यवाही में सम्मलित नहीं किया जा सकता इस प्रकार अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय

द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया गया कि तहसीलदार के न्यायालय में जिस भूमि का बंटवारा किये जाने का आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया था उस भूमि पर उसका नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है आवेदकगण अनावेदक के भाई की पत्नी है तथा अयोध्या बाई द्वारा उनके जीवनकाल मे भूमि आवेदकगण के नाम की जा चुकी है तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत फर्द बंटान पर आवेदक की हिस्से की बतायी गयी है उसपर अनावेदक काबिज है फर्द बंटान कब्जे के अनुसार होना चाहिये अपर आयुक्त महोदय द्वारा प्रकरण में विधिवत् विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किया है वह अपने स्थान पर विधिवत् एवं सही है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्थिर रखे जाने एवं आवेदकगण की और से प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6– उभयपक्ष के अभिभाषकों के किये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से यह प्रमाणित है तहसीलदार के प्रकरण मे संलग्न अभिलेखों व स्वीकृत बंटान से स्पष्ट है कि उक्त बंटान पर केवल आवेदकगण के हस्ताक्षर है अनावेदक के हस्ताक्षर नहीं है ओर न ही अनावेदक को मौके पर फर्द बंटान के समय उपस्थित रहने का सूचना पत्र दिया गया है फर्द बंटान के साथ प्रतिवेदन पंचनामा संलग्न नहीं है इससे स्पष्ट है कि फर्द मौके अनुसार नहीं है तहसीलदार द्वारा बंटवारा आदेश बिना फर्द बंटान के किया गया है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर विधिवत् विचार नहीं किया है द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थितियों का विधिवत् अवलोकन एवं विवेचना करने के पश्चात् आदेश पारित किया है जहॉ तक दोनो अधीनस्थ न्यायालयों समवर्ती निष्कषों में हस्तक्षेप किये जाने का प्रश्न है तो ऐसे निष्कर्ष जो साक्ष्य पर आधारित न हो हस्तक्षेप किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण का यह तर्क मान्य

किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में ऐसा कोई विधिक आधार नहीं है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाये।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर